उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1981]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1989

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 1990

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 08, 1997

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1998

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2004

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2010

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2019

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 2020

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 2025

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अक्टूबर, 1981 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में,–

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है ;

[2][(क–1) "मुख्यमंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से है ।]

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है ;

[3][(ग) "परिवार" का तात्पर्य मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री के साथ रहते हों, और उन पर पूर्णतया आश्रित हों ;]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 16 सितम्बर, 1981 का उत्तर प्रदेश असाधारण गजट देखियें ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 2 (क–1) द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 2 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत् शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है ;

[1][(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उस राज्य के उप मंत्री भी है।]

वेतन

3–[2][(1) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [3]**[**पचास हजार रूपए**]** प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे।

[4][परन्तु यह कि मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रति माह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होंगे।]

(2) प्रत्येक एव मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [5]**[**पैंतालीस हजार रूपये**]** प्रति मास के वेतन का हकदार होगा ।]

(3) [6][X X X]

निवास

[7]**[4**–(1) मुख्यंमंत्री और प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास–स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने के हकदार होंगे, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा ।

(2) जहां मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह, ––

(क) मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री की स्थिति में दस हजार रूपये प्रति मास ; और

(ख) उप मंत्री की स्थिति में, आठ हजार रूपये प्रति मास ; की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा ।

[8][X X X]

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

[9]**[4–क**–(1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख–सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को समय पर निवास–स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप–छः आवास को या ऐसे

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 2 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 3 (1) एवं (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2025 की धारा 11(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2025 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2019 की धारा 3 (3) द्वारा निकाला गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2020 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1997 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

आवास को जो किसी समय किसी मंत्री के अध्यासन में था मंत्री–आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल मंत्री को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।]

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट मंत्री से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन मंत्री–आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस को उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

सवारी

5–[1][(1) मुख्यमंत्री और प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिए निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होगे के पूर्व किसी समय किसी उपमंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायगी ।

यात्रा भत्ता आदि

6–[2][(1) मुख्यमंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने लिये उस दर पर और उन शर्तो पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च के हकदार होंगे ।]

(2) [3] [X X X]

[4][(3) मुख्यमंत्री और प्रत्येक मंत्री ––

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में ; और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने तथा अपने परिवार के सामानों के परिवहन के लिये यात्रा–भत्ता के हकदार होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 5 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 6 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 6 (2) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 6 (3) एवं (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) उपधारा (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता संदेय नही होगा।]

[1][**7**–मुख्यमंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृहों का प्रयोग करने के हकदार होंगे ।]

[2][**8**–मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास, उस सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे ।]

[3][**9**–जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है या नही रह जाता है, उसे गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मुख्यमंत्री या मंत्री बना या नहीं रह गया ।]

[4][**10**–मुख्यमंत्री सहित मंत्री अपनी पदावधि के दौरान, जिसके लिये वह वेतन और भत्ता आहरित करता है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिये नियोजन स्वीकार नही करेंगे ।]

[5][**11**–मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री जो यथास्थिति सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4,9,18 और अध्याय–आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा ।]

[6][**12**–मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है ।]

नियम बनाने की शक्ति

13–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वह तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय ।

निरसन

14–उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2016 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।